अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में		एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	श्री राजेश त्रिपाठी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड–02, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अल्मोड़ा / द्वाराहाट	1	प्रा0ख0, लो0नि0वि0 रानीखेत	धारा के नाम के आगे ✓लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्रार्थी इस स्थानान्तरण सत्र में दुर्गम से सुगम हेतु पात्र नहीं है। प्रार्थी की वृद्ध माताजी रानीखेत में निवास करती है, जो अक्सर बीमार रहती है, जिनका उपचार भी रानीखेत स्थित अस्पतालों में चल रहा है, जिनकी आयु 73 वर्ष से अधिक है, जिस हेतु प्रार्थी को ड्यूटी के पश्चात प्रतिदिन रानीखेत जाना पड़ता है। प्रार्थी की गृह तहसील द्वाराहाट ब्लॉक–द्वाराहाट है। प्रार्थी वर्तमान में अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण दुर्गम स्थान रानीखेत में सेवा करना चाहता है। प्रार्थी का स्थानान्तरण निजी हित में प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रानीखेत में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद पर करने की कृपा करें, इसके लिये प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।
					2	–	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)	–	
					3	–	☐ धारा 17(1) (दो)	–	
					4	–	☐ धारा 17(1) (तीन)	–	
					5	–	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)	–	
					6	–	☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)	–	
					7	–	☑ धारा 17(1) (ख) (छः)	–	
					8	–	☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	–	
					9	–	–	–	
					10	–	–	–	

(राजेश त्रिपाठी)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड–02, ए0डी0बी0,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

07/05/24
हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम:– अजय कुमार शास्त्री

पदनाम [illegible]
निर्माण खण्ड – 02
लो0 नि0 वि0, अल्मोड़ा

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						धाराओं के नाम	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	श्री कृपालू	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली	जनपद–टिहरी गढ़वाल तहसील–कण्डीसौड़	नि0ख0, लो0नि0वि0, चम्बा प्रा0ख0, लो0नि0वि0, नई टिहरी	☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☑ धारा 17(1) (ख) (छः) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		प्रार्थी का दिनांक–31.03.2025 को सेवानिवृत्ति होने के कारण निकटवर्ती खण्डों में स्थानान्तरण करने की कृपा करें।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

29/4/24

नाम :– श्री कृपालू

पदनाम :– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

29/4/24

नाम :– इं0 डी0 सी0 नौटियाल

पदनाम :–अधिशासी अभियन्ता, अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली।

अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०

घनसाली टिहरी गढ़वाल

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यावस्थापन "क" वर्ग, लो0नि0वि0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

द्वारा :— उचित माध्यम।

विषय :— दिनांक—31.03.2025 को सेवानिवृत्ति होने के कारण वार्षिक स्थानान्तरण 2024 से मुक्त रखे जाने /निकटवर्ती खण्ड में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक में निवेदन करना है, कि प्रार्थी वारिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली में कार्यरत है। मेरे सेवानिवृत्ति की तिथि 31.03.2025 है। इस सम्बन्ध में अनुरोध करना है, कि प्रार्थी को वार्षिक स्थानान्तरण 2024 से मुक्त रखने की कृपा करें तथा यह भी अनुरोध करना है, कि प्रार्थी को निकटवर्ती खण्ड नि0ख0, लो0नि0वि0, चम्बा तथा प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी में स्थानान्तरित करने की कृपा करें, ताकि प्रार्थी अपने सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने पेंशन प्रकरण से सम्बन्धित कार्यवाही को सुगमता के साथ कर सके।

संलग्न :— संलग्न प्रारूप 02।

कृपालू
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
अ.ख., लो.नि.वि., घनसाली,
मुख्यालय—घुमेटीधार

अग्रिम प्रतिलिपि :— प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष व्यावस्थापन "क" वर्ग लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रार्थी के अनुरोध पत्र पर सहानुभूति पूर्वक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :— संलग्न प्रारूप 02।

29/4/24
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
अ.ख., लो.नि.वि., घनसाली,
मुख्यालय—घुमेटीधार

पत्रांक :— 519/04 दिनांक :— 29/04/2024

महोदय,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष व्यावस्थापन "ग" वर्ग लो० नि० वि० उत्तराखण्ड, देहरादून को मूल में संस्तुति सहित अग्रसारित।

29/4/24
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
[illegible]

<u>अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2</u>

क्र०सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान (10 नं०) वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है			टिप्पणी
1	2	3	4	5	5	6		7	8
1	श्रीमती शन्नू मेहरा	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	प्रा०ख०, अल्मोड़ा	रानीखेत, जिला अल्मोड़ा	(1) निर्माण खण्ड, हल्द्वानी।	धारा के नाम के आगे √ लगाये		प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	महोदय, प्रार्थी की नियुक्ति दि0 20.07.1995 को विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रथम नियुक्ति हुयी थी, मेरी पूर्ण सेवा दुर्गम क्षेत्रों के खण्डों में कार्य किया गया है। जिस हेतु मैं सुगम हेतु पात्र हूँ। क्रमांक 30
					(2) राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, हल्द्वानी।	☑	17 धारा (1) (ख) (एक)	–	
					(3) पी०एम०जे०एस० वाई०हल्द्वानी।	☐	धारा (1) (ख) (दो)		
					(4) प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०नैनीताल।	☐	धारा (1) (ख) (तीन)		
					(5) निर्माण खण्ड, नैनीताल	☐	धारा (1) (ख) (चार)		
					(6) विद्युत यान्त्रिक खण्ड भीमताल।	☐	धारा (1) (ख) (पाँच)		
					(7) निर्माण खण्ड भवाली।	☐	धारा (1) (ख) (छ)		
					(8) प्रान्तीय खण्ड रानीखेत।	☐	धारा (1) (ख) (सात) (एक) (तीन)		
					(9) राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड रानीखेत।	☑	13(1) (2)		
					(10) ए०डी०बी० नैनीताल।				

(श्रीमती शन्नू मेहरा)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

(इं० सुनील कुमार) 24/1/24
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र०सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोहन लाल नाथ	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड लो.नि.वि. पोखरी	उत्तरकाशी डुण्डा	प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. देहरादून	धारा के नाम के आगे (टिक) लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	स्थानान्तरण की धारा/अधिनियम 2017 के अन्तर्गत दुर्गम में 23 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर सुगम हेतु पात्र हूँ एक्ट के अनुसार मेरा क्रमांक 37 पर ऐच्छिक स्थान मांगा गया है। अतः एक्ट की धारा को मध्य नजर रखते हुए मेरा स्थानान्तरण उक्त खण्डों में करने की कृपा करेंगें।
					निर्माण खण्ड लो.नि.वि. देहरादून	[ ] धारा (1) (ख) (एक)	–	
					राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो.नि.वि. देहरादून	[ ] धारा (1) (ख) (दो)	–	
					राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो.नि.वि. डोईवाला	[ ] धारा (1) (ख) (तीन)	–	
					अस्थाई खण्ड लो.नि.वि. ऋषिकेश	[ ] धारा (1) (ख) (चार)	–	
					निर्माण खण्ड लो.नि.वि. नरेन्द्र नगर	[ ] धारा (1) (ख) (पांच)	–	
					प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. हरिद्वार	[ ] धारा (1) (ख) (छ)	–	
					निर्माण खण्ड लो.नि.वि. बड़कोट	–	–	
					निर्माण खण्ड लो.नि.वि. चिन्यालीसौड़	–	–	
					निर्माण खण्ड लो.नि.वि. चम्बा	[✓] धारा (1) (ख) (सात)	–	

नोट– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

नाम– मोहन लाल नाथ
पदनाम– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पोखरी (चमोली)

नाम– ई० संजय प्रसाद सिन्हा
पदनाम– अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पोखरी (चमोली)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारुप–2

क्र० स०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री सुरेश चन्द्र डिमरी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पुरोला	धनोली /कर्णप्रयाग	1– नि०ख० लो०नि०वि० देहरादून 2– रा०मा०ख० लो०नि०वि० डोईवाला 3– प्रा०ख० लो०नि०वि० देहरादून 4– वि०/यां० लो०नि०वि० देहरादून 5– अ०ख० लो०नि०वि० ऋषिकेश 6– वि०/यां० ख० लो०नि०वि० ऋषिकेश 7– प्रा०ख० लो०नि०वि० हरिद्वार 8– नि०ख० लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर 9– नि०ख०लो०नि०वि० रूड़की 10– अ०ख० लो०नि०वि० सहिया	धारा के नाम के आगे ✓ लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	अनुरोध के आधार पर प्रार्थना पत्र मूल में संलग्न है।
						☐ धारा 17 (1) (ख) (एक)	माताजी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है।	
						☐ धारा 17 (1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (पाँच)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (सात)		

नोटः– कॉलम संख्या–07 में दर्शायें गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) S.C.Dimri 06-05-2024
नाम–सुरेश चन्द्र डिमरी
पदनाम– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)
नाम– बलराम मिश्रा
पदनाम– अधिशासी अभियन्ता
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
पुरोला (उत्तरकाशी)

Scanned with OKEN Scanner

सेवामें

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड
देहरादून।

द्वारा:– उचित माध्यम

विषय:– **स्थानान्तरण /सामायोजन के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी वर्तमान मे निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पुरोला ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है। महोदय मेरी माता जी बर्ष 2020 से लकवाग्रस्त है। महोदय फिजियोथेरेपी की उचित व्यवस्था न होने व दवाईया लेने हेतु बार–बार देहरादून आना–जाना पडता है । जिस कारण मेरे द्वारा माता जी के रहने की व्यवस्थ अपनी बहिन श्रीमती विनिता थपलियाल जागृति विहार नत्थनपूर देहरादून में की गयी है किन्तु वर्तमान में बहिन की बहू की डिलिवरी होने के कारण कमरे अथवा माता जी के रहने की व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है। महोदय प्रार्थी की दुर्गम क्षेत्र में 28 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थी का स्थानान्तरण/ समायोजन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पुरोला से निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 नरेन्द् नगर एवं ऋषिकेश /हरिद्वार /देहरादून के क्षेत्रान्तर्गत किसी भी एक खण्ड में करने की महति कृपा करें । इस उपकार हेतु प्रार्थी आपका आजीवन आभारी रहेगा ।

सधन्यवाद ।

पत्रांक– 545/4E Dt– 07/05/2024

संलग्न:– पत्र 10 नं0

मूल में अधी० अभि० ८वां वृत्त, लो०नि०वि० उत्तरकाशी को संस्तुति सहित अग्रसारित।

पत्रांक– 545/4E

सुरेश चन्द्र डिमरी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड लो0नि0वि, पुरोला

Date– 07/05/2024

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
पुरोला (उत्तरकाशी)

अग्रिम प्रतिलिपि– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 देहरादून को सादर प्रेषित।

संलग्न:– पत्र नं0

सुरेश चन्द्र डिमरी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड लो0नि0वि, पुरोला

Scanned with OKEN Scanner

सेवामें

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लो०नि०वि० उत्तराखण्ड
देहरादून।

द्वारा:- उचित माध्यम
विषय:- स्थानान्तरण /सामायोजन के सम्बन्ध में ।
महोदय,

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी वर्तमान मे निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पुरोला में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है। महोदय मेरी माता जी वर्ष 2020 से लकवाग्रस्त है। महोदय फिजियोथेरेपी की उचित व्यवस्था न होने व दवाईया लेने हेतु बार-बार देहरादून आना-जाना पड़ता है । जिस कारण मेरे द्वारा माता जी के रहने की व्यवस्थ अपनी बहिन श्रीमती विनिता थपलियाल जागृति विहार नत्थनपूर देहरादून में की गयी है किन्तु वर्तमान में बहिन की बहू की डिलिवरी होने के कारण कमरे अथवा माता जी के रहने की व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है। महोदय प्रार्थी की दुर्गम क्षेत्र में 28 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थी का स्थानान्तरण/ समायोजन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पुरोला से निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० नरेन्द्र नगर एवं ऋषिकेश /हरिद्वार /देहरादून के क्षेत्रान्तर्गत किसी भी एक खण्ड में करने की महति कृपा करें । इस उपकार हेतु प्रार्थी आपका आजीवन आभारी रहेगा ।

सधन्यवाद ।

पत्रांक-545/4E Dt-07/05/2024

संलग्नः- पत्र 10 नं०

प्रेषित अधी० अभि० 6वां वृत्त, लो०नि०वि० उत्तरकाशी को संस्तुति सहित अग्रसारित ।

सुरेश चन्द्र डिमरी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड लो०नि०वि. पुरोला

पत्रांक-545/4E

अधिशासी अभियन्ता
लो०नि०वि०
पुरोला (उत्तरकाशी)

Date-07/05/2024

अग्रिम प्रतिलिपि- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लो०नि०वि० देहरादून को सादर प्रेषित।

संलग्नः- पत्र नं०

सुरेश चन्द डिमरी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड लो०नि०वि. पुरोला

Scanned with OKEN Scanner

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 स0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री सुरेश चन्द्र डिमरी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पुरोला	चमोली / कर्णप्रयाग	1– नि0ख0 लो0नि0वि0 देहरादून 2– रा0मा0ख0 लो0नि0वि0 डोईवाला 3– प्रा0ख0 लो0नि0वि0 देहरादून 4– वि0/यां0 लो0नि0वि0 देहरादून 5– अ0ख0 लो0नि0वि0 ऋषिकेश 6– वि0/यां0 ख0 लो0नि0वि0 ऋषिकेश 7– प्रा0ख0 लो0नि0वि0 हरिद्वार 8– नि0ख0 लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर 9– नि0ख0लो0नि0वि0 रूड़की 10– अ0ख0 लो0नि0वि0 सहिया	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	अनुरोध के आधार पर प्रार्थना पत्र मूल में संलग्न है।
						☐ धारा 17 (1) (ख) (एक)	माताजी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है।	
						☐ धारा 17 (1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (पाँच)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (सात)		

नोटः– कॉलम संख्या–07 में दर्शायें गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

S C Dimri
16-05-2024

हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम–सुरेश चन्द्र डिमरी
पदनाम– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)
नाम– बलराम मिश्रा
पदनाम– अधिशासी अभियन्ता
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
पुरोला (उत्तरकाशी)

Scanned with OKEN Scanner

PARAAJ INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
&
PARAAJ WELLNESS CENTER

Dr.O.P. NAVANI
B.A.M.S. (KANPUR)
AYURVEDACHARYA
Reg.No. 40373

Date- 25/03/24

Reg.No-
Name- Reba Devi
Age-
Sex- M / F F
Marital Status- Married
Address- Nathanpur Dehradun
Weight-
Height-
Occupation- House wife
Pulse-
Temp-
B.P- 140/90

This is to Certify that Smt Reba Devi Mother of Sh. Suresh Chandra Dimri Aged about 72yrs ♀ R/o Jagriti Vihar Nathanpur Dehradun is taking Therapy from this hospital w.e.f. 15/08/22 till now. She is a patient of Paralysis Hemiplegia. She is taking Panchkarm Therapy.

25/03/24

Dr. O. P. Nawani
(Ayurvedacharya)
B.Sc., B.A.M.S. (Kanpur)
Ex. S.M.O. U.K. Govt.
Regd. No.-IMB UK 5729

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप – 02

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थानों वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुसार अनुरोध किया गया है (साक्ष्यों सहित)		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री सुन्दर लाल सकलानी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	प्रा0ख0, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी	टिहरी गढवाल, तहसील– धनोल्टी	01. प्रा0ख0, लोक निर्माण विभाग देहरादून। 02. नि0ख0, लो0नि0वि0 देहरादून 03. रा0रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून 04. विद्युत/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून। 05. अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0, ऋषिकेश। 06. नि0ख0, लो0नि0वि0 नरेन्द्र नगर	धारा के नाम के आगे ✓लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	महोदय प्रार्थी की कुल सेवा 29 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उल्लिखित सेवा में प्रार्थी पूर्ण दुर्गम क्षेत्रों में ही सेवारत रहा है।
						धारा 17 (1) (ख) (एक)		
						धारा 17 (1) (ख) (दो)		
						धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
						धारा 17 (1) (ख) (चार)		
						धारा 17 (1) (ख) (पांच) ✓		
						धारा 17 (1) (ख) (छः)		
						धारा 17 (1) (ख) (सात)		

हस्ताक्षर(कार्मिक) [signature] 01/05/2024
नाम –श्री सुन्दर लाल सकलानी
पदनाम –वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी

अग्रसारित – [signature] 01/05/24
अधिशासी अभियन्ता/वि0अ0
हस्ताक्षर(कार्यालयाध्यक्ष)
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
नाम – इं0 रजनीश कुमार
उत्तरकाशी
पदनाम – अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी

छठा वृत्त लो० नि० वि० 14

सेवा में,

क्र.सं.- 1482/22ई.जी.-06/24 दि. 14/5/24 उत्तरकाशी

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लो० नि० वि०, देहरादून

मूल में मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल कार्यालय, लो.नि.वि. देहरादून को श्री सुन्दर लाल सकलानी, व.प्रशा. अधि. का आवेदन पत्र संस्तुति सहित अग्रसारित।

अधीक्षण अभियन्ता
छठा वृत्त लो० नि० वि०
2/5/24 उत्तरकाशी

द्वारा – उचित माध्यम

विषय – निजीहित में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में संलग्न:- प्रारूप-01.

महोदय,

निवेदन इस प्रकार से है कि प्रार्थी विगत उनतीस वर्षो से विभाग (लो० नि० वि०) में कार्यरत है, तथा मेरी पूर्ण सेवा दुर्गम में ही व्यतीत हुई है, वर्तमान समय में प्रार्थी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० उत्तरकाशी में विगत दो वर्षो से कार्यरत है जो दुर्गम क्षेत्र के अन्तर्गत चिन्हित है। महोदय आज तक की सेवायें लगभग 29 वर्ष तक मेरे द्वारा दुर्गम में ही की गई हैं और अब मैं सुगम क्षेत्र देहरादून में अपनी सेवायें देना चाहता हूँ। चूंकि प्रार्थी के बच्चे जनपद देहरादून में अध्यन्नरत हैं। जिनकी देखभाल करने हेतु बार-बार देहरादून जाना पडता है।

अतः महोदय से प्रार्थना है कि मेरा स्थानान्तरण निजी हित में, मेरी दुर्गम में की गयी सेवाओं को मध्य नजर रखते हुए सुगम में जनपद देहरादून के अन्तर्गत निर्माण खण्ड देहरादून, रा० राज मार्ग खण्ड देहरादून, निर्माण खण्ड देहरादून, वि० यॉ० ख० लो० नि० वि० देहरादून, अ०ख० लो०नि०वि० ऋषिकेश, एवं नि० ख० लो० नि० वि० नरेन्द्र नगर में करने की कृपा करेंगे जी। यदि सुगम में सम्भव न हो तो दुर्गम में चिन्हित नि० ख० लो० नि० वि० चम्बा, प्रा० ख० लो० नि० वि० टिहरी अथवा अ० ख० लो०नि०वि० घनसाली में से किसी एक खण्ड में स्थानान्तरण करने की महान कृपा करेंगे जी। जिस हेतु मैं एवं मेरा परिवार आपका आजीवन आभारी रहेगा।

आदर सहित

01/05/2024

(सुन्दर लाल सकलानी)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
प्रा० ख० लो० नि० वि०
उत्तरकाशी

कार्यालय - अधीक्षण अभियन्ता
01 MAY 2024
6वां वृत्त लोक निर्माण विभाग
उत्तरकाशी

अग्रिम प्रतिलिपि प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष लो० नि० वि० उत्तराखण्ड देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मेरी दुर्गम की सेवाओं को मध्यनजर रखते हुए मेरा स्थानान्तरण करनें की महती कृपा करेंगे जी ।

प्रतिलिपि – अधीक्षण अभियन्ता, 6वा वृत्त लो०नि०वि० उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि – प्रान्तीय अध्यक्ष महामंत्री मिनि० एशोसिएशन लो० नि० वि० उत्तराखण्ड मुख्यालय देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मेरा स्थानान्तरण निजी हित में पत्र में उल्लेखित खण्डों में से किसी एक खण्ड में करवानें की कृपा करेंगे ।

प्रतिलिपि – क्षेत्रीय अध्यक्ष/महामंत्री मिनि० एशोसिएशन लो० नि० वि० गढ़वाल क्षेत्र देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिलाध्यक्ष/महामंत्री मिनि० एशोसिएशन लो०नि०वि०उत्तरकाशी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप भी अपने स्तर से स्थानान्तरण हेतु लिखने की कृपा करेंगे।

व्यक्तिगत 98 01/5/2024

1482/व्यक्त 01/05/2024

पत्रांक 718/मूल में दिनांक 01/05/2024
मूल में अधीक्षण अभियन्ता, 6th वृत्त लो० नि० वि० उत्तरकाशी को श्री सकलानी व० प्र० अधि० का आवेदन पत्र संस्तुति सहित अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
01/05/24

(सुन्दर लाल सकलानी)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
प्रा० ख० लो० नि० वि०
उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० विभाग
उत्तरकाशी
01/05/2024

Scanned with OKEN Scanner

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप –2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियताक्रम मे	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						धारा के नाम के आगे लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	राजेन्द्र प्रसाद आर्या	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट।	नैनीताल	1– निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, काशीपुर 2– प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत 3– रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत 4– निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत 5– प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रपुर 6– निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, खटीमा 7– रा0मा0 खण्ड, हल्द्वानी 8– निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी	धारा 17 (1) (ख) (एक) ✓	✓	प्रार्थी की पत्नी श्रीमती उषा आर्या, मुख्य वैयक्तिक अधिकारी के पद पर प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा में कार्यरत है। बच्चों की देखरेख एवं पढ़ाई लिखाई हेतु अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण करने की कृपा करें।
						धारा 17 (1) (ख) (दो)		
						धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
						✓ धारा 17 (1) (ख) (चार)	✓	
						धारा 17 (1) (ख) (पॉच)		
						धारा 17 (1) (ख) (छः)		
						धारा 17 (1) (ख) (सात)		

हस्ताक्षर (कार्मिक)

14/5/2024

नाम – राजेन्द्र प्रसाद आर्या
पदनाम – वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट।

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

14/5/24

नाम – इं0 संजय चौहान
पदनाम – अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लो०नि०वि० उत्तराखण्ड
देहरादून।

द्वारा – उचित माध्यम।

विषय– अनुरोध के आधार स्थानान्तरण चाहने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है प्रार्थी वर्तमान मे निर्माण खण्ड लो०नि०वि० लोहाघाट मे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ, मेरा परिवार वर्तमान मे हल्द्वानी जनपद नैनीताल मे निवास करता है, साथ ही अवगत कराना है कि मेरी पत्नी श्रीमती उषा आर्या, मुख्य वैयक्तिक अधिकारी के पद पर प्रा०ख० लो०नि०वि० अल्मोडा मे कार्यरत हैं पति पत्नी के परिवार से दूरस्त कार्यरत होने के कारण परिवार में बच्चों की देखरेख एवं पढाई मे अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

महोदय, अवगत कराना है प्रार्थी की दुर्गम की सेवा लगभग 08 वर्ष से उपर की सेवा हो चुकी है। साथ ही अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रार्थी दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत है व दुर्गम क्षेत्र मे स्थानान्तरण चाहता हूँ। अत: **प्रार्थी स्थानान्तरण एक्ट की धारा 17 (1) की उपधारा (ख) (चार) व एक्ट की धारा 17 (1) की उपधारा (ख) (छ:)** के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अर्ह है।

अतः निवेदन है प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रा०ख०लो०नि०वि० रानीखेत (दुर्गम) अथवा नि०ख० लो०नि०वि० काशीपुर (सुगम) में रिक्ति के सापेक्ष करने की कृपा करें। जिससे प्रार्थी पूरे मनोयोग से राजकीय कार्यों का सम्पादन करेंगे। प्रार्थी आपका आजन्म आभारी रहेगा।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद आर्या)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
नि० खण्ड लो०नि०वि० लोहाघाट

अग्रिम प्रतिलिपि– प्रमुख अभियन्ता, एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड देहरादून को इस अनुरोध के प्रेषित कि प्रार्थी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा स्थानान्तरण उपरोक्तानुसार करने की कृपा करेंगे।
प्रतिलिपि– प्रान्तीय अध्यक्ष/महासचिव/क्षेत्रीय अध्यक्ष व क्षेत्रीय महामंत्री उत्तराखण्ड मि०ए० लो०नि०वि० उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के प्रेषित कि प्रार्थी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा स्थानान्तरण उपरोक्तानुसार करवाने हेतु अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

14/5/2024

(राजेन्द्र प्रसाद आर्या)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
नि० खण्ड लो०नि०वि० लोहाघाट

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती इतिल अग्रवाल	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर गढ़वाल	हरिद्वार / रूड़की	1. निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रुड़की	धारा के नाम के आगे ✔ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	महोदय अवगत कराना है कि 1. मैं अस्थमा एवं शूगर रोग से ग्रसित हूं। दुर्गम स्थान पर स्थानान्तरण के उपरान्त मेरी बीमारी अत्यधिक बढ़ गयी है। 2. मेरे पति हाई ब्लडप्रेशर एवं ह्रदय रोग से पीड़ित है। 3. अनुरोध है कि मेरा स्थानान्तरण मेरे ऐच्छिक स्थानों में से किसी खण्ड में करने की कृपा करें। ताकि मैं अपना एवं अपने पति का उचित इलाज करा सकूं। संलग्न :–1. चिकित्सा प्रमाण पत्र 04 नं0 2. प्रार्थना पत्र एवं परामर्श पत्रों की प्रति।
					2. प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 हरिद्वार	✔ धारा 17(1) (ख) (एक)	1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय, बौराड़ी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रति। 2. हेमवती नन्दन बहुगुणा बेस टीचिंग हॉस्पिटल श्रीनगर गढ़वाल के HOD (Medicine) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रति 3. डिवीजन मेडिकल बोर्ड गढ़वाल मण्डल पौड़ी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रति 4. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा प्रदत्त परीक्षण प्रमाण पत्र की प्रति।	
					3. अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 ऋषिकेश	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
					4. वि0यां0 खण्ड, ऋषिकेश	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
					5. निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 लक्सर	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
					6. प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून	☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
					7. निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून	☐ धारा 17(1) (ख) (छ:)		
					8. राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रूड़की (देहरादून)	☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		
					9. राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोईवाला			
					10. वि0 / यां0 खण्ड, देहरादून			

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– श्रीमती इतिल अग्रवाल

पदनाम– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

10/05/24

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– श्री किशोर कुमार

पदनाम–अधिशासी अभियन्ता

Scanned by CamScanner

"चिकित्सा प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है, कि श्रीमती इतिल अग्रवाल उम्र लगभग 50 वर्ष पत्नी श्री नाथी राम अग्रवाल निवासी–2 जी/43 विधि विहार नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल जो कि Br. Asthama C OA. रोग से पीड़ित हैं। इनका उपचार इस चिकित्सालय में विगत दो वर्षों से चल रहा है, इनको कमर/गर्दन/घुटनों एवं जोड़ो में दर्द सांस फूलना एवं अस्थमा एवं अर्थराईड रोग की परेशानी के कारण चिकित्सक द्वारा भारी कार्य न करने, चढ़ाई न चढ़ने एवं न उतरने के साथ इनको नियमित रूप से दवाईयों का सेवन करने, उचित उपचार एवं नियमित जॉच हेतु उच्च चिकित्सा संस्थान में जाने की सलाह दी जाती है। इनका पंजीकरण नं0 17094457 दिनांक 17.03.2021 है।

श्रीमती इतिल अग्रवाल के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नीचे मेरे द्वारा प्रमाणित किया जा रहा हैं।

हस्ताक्षर प्रमाणित

(डा0 अमित राय)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
जिला चिकित्सालय बौराड़ी
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
जिला चिकित्सालय बौराड़ी
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल

(डा0 अमित राय)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
जिला चिकित्सालय बौराड़ी
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
जिला चिकित्सालय बौराड़ी
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल

Scanned by CamScanner

"चिकित्सा प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती इतिल अग्रवाल, उम्र लगभग 53 वर्ष, पत्नी श्री नाथी राम अग्रवाल, निवासी शैल कुटीर, बुघाणी रोड, डाक बंगला, श्रीनगर गढ़वाल जो कि T2DM / HTN / Bronchial Asthma रोग से पीड़ित है। इनका उपचार इस चिकित्सालय में विगत दो वर्षों से चल रहा है। श्रीमती इतिल अग्रवाल के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नीचे मेरे द्वारा प्रमाणित किया जा रहा है।

हस्ताक्षर प्रमाणित

17/04/23

Dr. K.S. Butola
H.O.D. Medicine
V.C.S.G.M.S.& R.I.
Srinagar (Garhwal)
Srinagar (Garhwal)

Dr. K.S. Butola
H.O.D. Medicine
V.C.S.G.M.S.& R.I.
Srinagar (Garhwal)

Scanned by CamScanner

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्रम सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 इच्छित स्थान वरियता क्रम में	धारा 17 (1) के अनुसार अनुरोध का आधार (साक्ष्यों सहित)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	प्रकाश चन्द्र काण्डपाल	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	प्रा0 ख0 लो0नि0वि0 पिथौरागढ़	बागेश्वर / बागेश्वर	1. नि0 ख0 लो0नि0वि0 हल्द्वानी 2. रा0मा0 खण्ड हल्द्वानी 3. प्रा0 ख0 रुद्रपुर	1. धारा 17 (1) (ख) (एक) 2. धारा 17 (1) (ख) (दो) 3. धारा 17 (1) (ख) (तीन) 4. धारा 17 (1) (ख) (चार) 5. धारा 17 (1) (ख) (पांच) 6. धारा 17 (1) (ख) (छः) 7. धारा 17 (1) (ख) (सात)		

हस्ताक्षर (कार्मिक

नाम प्रकाश चन्द्र काण्डपाल

पदनाम वरि0 प्रशा0 अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

Executive Engineer, Division

नाम [illegible]

पदनाम अधिशासी अभियन्ता

सेवा मे

प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
यमुना कालोनी देहरादून।

विषय– **स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र।**

सन्दर्भ – आपका पत्रांक 127/93 व्याग– अधि0 –30/2023 दिनांक 26–02–2024 एंव कार्यालय ज्ञाप सं0 1144/114 व्याग– अधि0 30/2016 दिनांक 15–09–2016।

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में महोदय के सादर संज्ञान मे लाना है। कि :-

1. प्रार्थी का दुर्गम में 17 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण रहा है।
2. प्रार्थी को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर आगामी 31–01–2025 में सेवानिवृत्त होना है।
3. सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप सं0 1144/114 व्याग – अधि0 –30/2016 के कमां 12 में प्रा0 ख0 पिथौरागढ मे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का अन्य खण्डो के सादृश्य 01 (एक) पद स्वीकृत है तथा मेरी पदोन्नति से पूर्व से स्वीकृत पद के सापेक्ष एक अन्य कार्मिक कार्यरत है । प्रार्थी की पदोन्नती सहस्थानान्तरण इस खण्ड में किया गया है । इसलिये प्रार्थी का स्थानान्तरण इस स्थानान्तरण सत्र में यथा हल्द्वानी स्थित किसी भी खण्ड / उधमसिंह नगर स्थित खण्ड या अन्य सुगम खण्डों में करने की कृपा करें।

सादर।

प्रार्थी
(प्रकाश चन्द्र काण्डपाल)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ

प्रतिलिपि – प्रान्तीय अध्यक्ष / प्रान्तीय महामंत्री ,लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रीयल एसोसियेशन उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एंव इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रार्थी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर 31–01–2025 में सेवानिवृत्त होना है इसलिये मेरा स्थानान्तरण हल्द्वानी स्थित किसी भी खण्ड / उधमसिंह नगर स्थित किसी भी खण्ड अथवा सुगम खण्डो में करवाने की कृपा करें।

(प्रकाश चन्द्र काण्डपाल)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ

[illegible] आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	[illegible]	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	[illegible] जनपद का नाम	[illegible] हेतु [illegible] कार्यालय क्रम से	[illegible]		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	श्रीमती मंजू बिष्ट/बिनवाँल	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	वि०/यां० खण्ड लो०नि०वि० देहरादून	चमोली	वि०/यां० खण्ड लो०नि०वि० देहरादून	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	वर्तमान में प्रार्थिनी का पारस्परिक स्थानान्तरण प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय संख्या 56069/125 स्था०/सुधि-3/23 दिनांक 20-01-24 द्वारा प्रार्थिनी का स्वास्थ्य एवं पारिवारिक परिस्थिति के कारण प्रा० खण्ड लो०नि०वि० टिहरी से वि०/यां० खण्ड लो०नि०वि० देहरादून किया गया है। उक्त महोदय से निवेदन है कि प्रार्थिनी को वि०/यां० खण्ड में यथावत रखने की कृपा करें।
						✓ ☐ धारा 17(1) (क) (एक)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ग) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (घ) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ङ) (पांच)		
						☐ धारा 17(1) (च) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (छ) (सात)		

नोट— [illegible] संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी [illegible] की धारा का [illegible] लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) Manju 10/05/2024

नाम— मंजू बिनवाँल

पदनाम— वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) [signature]

नाम— **अधिशासी अभियन्ता**

पदनाम— वि०/यां० खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून

प्रेषक,

महानिदेशक/अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।
राज्य चिकित्सा परिषद्,

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक–रा0चिकि0परि0/2019/ 1350

दिनाँक: ~~06~~ 07-जून, 2019

विषय– श्रीमती मंजू शिकवाण के स्वास्थ्य परीक्षण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 19प/8/68/2019/10119 दिनाँक 25.05.2019 के अनुपालन में अभ्यर्थी श्रीमती मंजू शिकवाण दिनाँक ~~06~~ 07.06.2019 को राज्य चिकित्सा परिषद् के सम्मुख अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु उपस्थित हुए, परीक्षण रिपोर्ट आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव
राज्य चिकित्सा परिषद्,
उत्तराखण्ड,देहरादून ।

हस्ताक्षर प्रमाणित,
श्रीमती मंजू झिक्वाण

मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव,
राज्य चिकित्सा परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक 07.06.2019 को राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड देहरादून की बैठक मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव के कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें श्रीमती मंजू झिक्वाण, आयु लगभग 44 वर्ष के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रकरण महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 19प/8/68/2019/10119 दिनांक 25.05.2019 के माध्यम से प्राप्त हुआ। संदर्भित पत्र के अनुपालन में श्रीमती मंजू झिक्वाण राज्य चिकित्सा परिषद के सम्मुख अपनी अनुपस्थित अवधि के चिकित्सा प्रमाण पत्रों पर द्वितीय राय हेतु/स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित हुए।

राज्य चिकित्सा परिषद के सदस्यों द्वारा श्रीमती मंजू झिक्वाण का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और परीक्षणोपरान्त उन्हें EPISTAXIS (SINGLE EPISODE) AND HYPERTENSION NEEDS FOLLOW UP UNDER PHYSICIAN.

पाया गया।

7/6/2019 — 07.06.19

(डा० एस०एन०सिंह)
आर्थो०सर्जन/सदस्य,
राज्य चिकित्सा परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० राजकेश पाण्डेय)
नेत्र सर्जन/सदस्य,
राज्य चिकित्सा परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव,
राज्य चिकित्सा परिषद
उत्तराखण्ड,देहरादून।

महानिदेशक/अध्यक्ष,
राज्य चिकित्सा परिषद
उत्तराखण्ड,देहरादून।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन 'ग'वर्ग, लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

द्वारा:– उचित माध्यम।

विषय:– सुगम से दुर्गम स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन करना है कि, प्रार्थिनी वर्तमान में वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है, पूर्व में पदोन्नति होने के फलस्वरूप, स्थानान्तरण प्रा0ख0 लो0नि0वि0 टिहरी किया गया। एक वर्ष का समय व्यतीत होने के पश्चात् प्रार्थिनी द्वारा अपना स्वास्थ्य एवं वृद्ध सास एवं माता जी (जिनकी उम्र 89 व 76 है) इनकी देखभाल करने के लिए मेरे अलावा अन्य आश्रित नहीं है। जिस कारण प्रार्थिनी द्वारा अनुरोध के फलस्वरूप आपके कार्यालय ज्ञाप सं0 56069/125/व्याग अधि0–3/2023 दिनांक 20.01.2024 के द्वारा पारस्परिक स्थानान्तरण किया गया है। वर्तमान खण्ड में अभी मात्र तीन माह का समय पूर्ण हुआ जिस कारण प्रार्थिनी खण्ड में स्थानान्तरण के पात्रता में नहीं है।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि, प्रार्थिनी को वर्तमान खण्ड में यथावत रखने की कृपा करें।

प्रार्थिनी,

मंजू झिक्वाँण,
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून।

अग्रिम प्रतिलिपि:– प्रमुख अभियन्ता को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उपरोक्त परेशानियों को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थिनी को वर्तमान खण्ड में यथावत रखने की कृपा करें।

प्रतिलिपि– प्रान्तीय अध्यक्ष/महामंत्री/क्षेत्रीय अध्यक्ष/क्षेत्रीय महामंत्री/मिनिस्ट्रीयल एशोसियेशन देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त परेशानियों को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थिनी को वर्तमान खण्ड में यथावत रखने हेतु अग्रिम कार्यवाही करें।

पत्रांक – 691 / 3 ई0 दि0 15-5-24
अधीक्षण अभियन्ता 11 वां वृत्त/लो0नि0वि0 देहरादून
को मूल में संस्तुति सहित प्रेषित

मंजू झिक्वाँण,
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता
वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0
देहरादून

ई–मेल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 645 /3ई0

दिनांक 03/05/2024

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः– अनुरोध के आधार पर पात्र कार्मिकों के ऐच्छिक स्थान का विवरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 546 / 34व्यक–स्थानान्तरण–सा0 / 2023 दिनांक 16.04.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि खण्ड के अधीन अनुरोध के आधार पर पात्र अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत ऐच्छिक स्थानों का विवरण निर्धारित प्रारूप में अंकित कर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

1– श्री रोशन लाल निराला, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

संलग्न– उपरोक्तानुसार प्रारूप–2

(इं0 दिनेश मोहन गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली, चमोली।

पत्रांक /3ई0 दिनांक / /2024

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियन्ता 7वॉं वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– श्री रोशन लाल निराला, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लो0नि0वि0 थराली को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली, चमोली।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया हैं		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						धारा के नाम के आगे ✓लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	रोशन लाल निराला	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 थराली (चमोली)	उत्तरकाशी/चिन्याली सौड़ा	1.निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट 2.प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 नई टिहरी 3.अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया	☑ धारा 17(1)(ख)(छः)		महोदय वर्तमान में, मैं निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 थराली में कार्यरत हूँ। जो मेरे मूल निवास से 250.00 किमी0 की दूरी पर है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मेरी उम्र 53 वर्ष अधिक है एवं सेवाकाल के अन्तिम भाग में कुछ पारिवारिक दायित्वों का निर्वाहन किया जाना होता है। साथ ही अवगत कराना है कि वर्तमान में पुत्री का स्वास्थ खराब चल रहा है (स्वास्थ से सम्बन्धित रिपोर्ट)जिस कारण मुझे बार-बार स्वास्थ उपचार हेतु देहरादून/उत्तरकाशी जाना पड़ता हैं। जिस कारण मुझे कार्यो के सम्पादन में कई कठिनाईया होती हैं।अतः महोदय से अनुरोध है कि यदि उक्त में से किसी भी खण्डो में मेरा स्थानान्तरण करने की कृपा करें। जिससे मै अपने परिवारजनो एवं बच्चो की देख-रेख के साथ-साथ राजकीय दायित्यों का भी निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ कर सकू।

नोट :- कॉलम संख्या-07 में दर्शायें गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्त की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) 05/05/24

नाम – रोशन लाल निराला
पदनाम- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम-दिनेश मोहन गुप्ता
पदनाम-अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 थराली

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
गैरसैंण

Phone N0/ Fax No: 01363.278533 **Mail eecdgairsain@rediffmail.com**

पत्रांक – 515/1ई० दिनांक 03/05/2024

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन "क" वर्ग
उत्तराखण्ड लो०नि०वि०,
देहरादून।

विषयः– **स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रेषण के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– **प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष व्यवस्थापन "ग" वर्ग उत्तराखण्ड लो०नि०वि० देहरादून के पत्रांक 546/34 व्यग–स्थानान्तरण–सा/2023 दिनांक 16.04.2024।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा सुगम से दुर्गम व दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र निम्न कर्मचारियों के मूल में संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है।

अनुरोध के आधार पर आवेदन पत्र

1. श्री ललित सिंह अधिकारी सहायक अभियन्ता,
2. श्री बालक राम सकलानी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
3. श्री सुभाष चन्द्र प्रशासनिक अधिकारी,
4. श्री मोहन सिंह कोरंगा प्रधान सहायक,
5. श्री जितेन्द्र जोशी प्रधान सहायक,
6. श्री विमल सिंह जीना वरिष्ठ सहायक,

दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण

1. श्री जगदीश प्रसाद अधिशासी अभियन्ता,
2. श्री ललित सिंह अधिकारी सहायक अभियन्ता,
3. श्री सुमन्त सिंह कनिष्ठ सहायक,

संलग्नः– उपरोक्त कर्मचारियों के आवेदन पत्र मूल में।

भवदीय,

03/05/24

(इं० जगदीश प्रसाद)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०
गैरसैंण (चमोली)।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप –2

क्र0सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में।	अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी।
						धारा के साथ के प्राप्त सही का विवरण लगाएं।	अनुलग्न साक्ष्यों का विवरण।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बालक राम सकलानी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गैरसैंण	टिहरी /घनसाली	1. निर्माण खण्ड देहरादून। 2. प्रान्तीय खण्ड देहरादून। 3. अस्थाई खण्ड ऋषिकेश। 4. प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार। 5. रा0मा0 खण्ड देहरादून। 6. निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर। 7. रा0मा0 खण्ड, डोईवाला। 8. निर्माण खण्ड चम्बा। 9. प्रान्तीय खण्ड टिहरी। 10. नव सर्जित होने वाला खण्ड टिहरी	धारा 17 (1) (ख) (एक)	मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न है	महोदय मेरी पत्नी [illegible] की किडनी से पीड़ित है, जिनका उपचार देहरादून के चिकित्सालय किया जा रहा है अतः दिए गये वैकल्पिक स्थानों में मेरा स्थानान्तरण करने की कृपा करें।

हस्ताक्षर (कार्मिक) — (हस्ताक्षर) 2.5.24

नामः– बालक राम सकलानी

पदनाम :– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) — (हस्ताक्षर) 2/05/24

नामः– ई0 जगदीश प्रसाद

पदनामः– अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गैरसैंण।

सेवा में

श्रीमान प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 देहरादून।

विषयः— निजिहित/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के संबंध में।

द्वारा— अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गैरसैंण चमोली।

महोदय,

निवेदन करना है कि मैं निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गैरसैंण में कार्यरत हूँ, महोदय मेरी पत्नी विगत 15 वर्षो से गठिया (Arthritis) की बीमारी से अत्यधिक ग्रसित होने के कारण बीमार है, जिससे वह घर में कोई भी कार्य नही कर पाती है, और नाहीं कहीं चल फिर सकती है, मेरे बच्चे अभी विद्यार्थी जीवन में है जिससे मुझे ही समय–समय पर अपनी पत्नी को स्वास्थय उपचार हेतु देहरादून के विभिन्न चिकित्सालयों में लेकर जाना पड़ता है, जिस हेतु महानिदेशक राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड देहरादून के द्वारा निर्गत स्वास्थय परीक्षण प्रमाण पत्र में भी समय–समय पर स्वास्थय उपचार हेतु सलाह दी गई है, (स्वास्थय प्रमाण पत्र संलग्न) महोदय मैं दुर्गम खण्ड गैरसैंण में कार्यरत होने के कारण समय पर अपनी पत्नी का स्वास्थय उपचार नहीं करा पा रहा हूँ। जिससे उनके स्वास्थय पर उपचार न मिलने के कारण ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। महोदय मेरे द्वारा नियुक्ति की तिथि 07.03.1995 से माह अगस्त/2012 तक एवं पुनः माह–मई/2016 से माह–जुलाई/2017 तक अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 घनसाली एवं माह 11/2022 से आजतक निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गैरसैंण में 21 वर्षो की सेवा दुर्गम मे की गयी है। जो कि स्थानान्तरण अधिनियम के तहत दुर्गम की सेवा पूर्ण मानी जा सकती है।

अतः महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि मेरी पारिवारिक परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये मेरा निजिहित/अनुरोध के आधार पर देहरादून एवं उसके नजदीकी निम्नलिखित किसी भी खण्ड में निकट भविष्य में होने वाली पदोन्नत्तियों के फलस्वरूप होने वाले रिक्त पदो के सापेक्ष मेरा स्थानान्तरण करने की कृपा करें। जिससें मैं समय–समय पर अपनी पत्नी का स्वास्थय उपचार करवा सकू जिस हेतु मैं और मेरा परिवार आपका आजन्म आभारी रहेगा।

"आदर सहित"

निजिहित/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान।

1–निर्माण खण्ड देहरादून 2– प्रान्तीय खण्ड देहरादून 3–अस्थाई खण्ड ऋषिकेश
4–प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार 5–रा0मा0 खण्ड देहरादून 6–निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर
7– रा0मा0 खण्ड डोईवाला 8–निर्माण खण्ड चम्बा 9– प्रान्तीय खण्ड टिहरी
10–नव सृजित होने वाला खण्ड नई टिहरी।

संलग्नः– मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत स्वास्थय प्रमाण पत्र।

भवदीय
(हस्ताक्षर) 2.5.24
बालकराम सकलानी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
नि0ख0 लो0नि0वि0
गैरसैंण चमोली।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय

मूल रूप से प्रबल संस्तुति सहित अग्रसारित,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गैरसैंण (चमोली)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–398 चि0शा0/2001–145 (चि)/2001 दिनाँक 08.05.2001 द्वारा गठित)

:: स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र ::–

हस्ताक्षर प्रमाणित,
श्रीमती विद्या सकलानी

मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव,
राज्य चिकित्सा परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रॉक–पत्रॉक–19प/8/1/2023/टी0सी/12301 दिनाँक 21 अप्रैल, 2023 के क्रम में राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के सम्मुख श्रीमती विद्या सकलानी पत्नी श्री बालक राम सकलानी उम्र लगभग48 वर्ष अपने स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दिनाँक 03 अगस्त, 2023 को उपस्थित हुये।

परीक्षणोपरान्त उन्हें A case of Rheumatoid Arthritis c̄ deformity - treatment neglected for last 10 yrs. X ———— X ———— X ———— X ———— पाया गया।

(डा0 एस0एन0 सिंह) आर्थो0सर्जन/सदस्य, राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।	(डा0 शशिबाला वासन) नेत्र सर्जन/सदस्य, राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।	3/8/23 (डा0 प्रवीन पंवार) फिजिशियन/सदस्य, राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव, राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।	महानिदेशक/अध्यक्ष राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड,देहरादून।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

द्वारा:— उचितमाध्यम

विषय:— स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि मेरा स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार दुर्गम से सुगम में होना है जिसकी पात्रता सूची के अनुसार मेरा क्रमांक 37 है। तथा मेरी दुर्गम में 23 वर्ष की सेवा एक्ट के अनुसार पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में मैं देहरादून में अपने पूरे परिवार के साथ निवासरत हूँ, यहॉ पर यह भी अवगत कराना है कि मैं घर का इकलौता पुत्र हूँ, इस लिए पिताजी व माता जी भी मेरे साथ में ही रहते है। जिनकी आयु लगभग 80 वर्ष की हो चुकी है तथा देहरादून से पोखरी लगभग 250 किमी. की दूरी पर है। तथा यहॉ से माता पिता की देखरेख करना सम्भव नही है।

अतः एक्ट के अनुसार मेरा स्थानान्तरण किसी नजदीकी खण्ड में करने की कृपा करेगें, जिससे राजकीय कार्यो के साथ–साथ माता जी व पिता जी की देखभाल भी हो सके, यह भी अवगत कराना है कि मेरा भी स्वास्थ्य खराब रहता है, डाक्टरों के अनुसार हार्ट (आर्टीरीज) में प्रोब्लम है और वर्तमान में मेरा ईलाज मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में चल रहा है, जिसका प्रमाण (पर्चा) प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। खण्डों के नाम निम्नवत् है:—

<u>सुगम खण्ड</u>

1. प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. देहरादून।
2. निर्माण खण्ड लो.नि.वि. देहरादून।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो.नि.वि. देहरादून।
4. राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो.नि.वि. डोईवाला।
5. अस्थाई खण्ड लो.नि.वि. ऋषिकेश।

<u>दुर्गम खण्ड</u>

1. निर्माण खण्ड लो.नि.वि. बडकोट।
2. निर्माण खण्ड लो.नि.वि. चिन्यालीसौड।
3. निर्माण खण्ड लो.नि.वि. चम्बा।

अतः मेरी उपरोक्त परिस्थियों को मध्यनजर रखते हुए व एक्ट के अनुसार उपरोक्त किसी भी खण्ड में स्थानान्तरण करने की महति कृपा करेगें। जिस हेतु प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार जीवनभर आपका आभारी रहेगा।

दिनांक:— 01.05.2024

संलग्न-उपरोक्तानुसार
पत्रांक- 8981 मूल में दि० 03.05.2024
अधीक्षण अभियन्ता नवां वृत्त लो.नि.वि. गोपेश्वर को सादर अग्रसारित

भवदीय

(मोहन लाल नाथ)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
नि0ख0, लो0नि0वि0 पोखरी (चमोली)

[illegible]

अग्रिम प्रतिलिपि:— प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून को प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित प्रार्थना पत्र, पर सहानुभूतिपूर्वक विचारोउपरान्त प्रार्थी की तैनाती इन्ही खण्डों में करने की कृपा कीजिएगा।

प्रतिलिपि:— प्रान्तीय अध्यक्ष/महामंत्री मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— क्षेत्रीय अध्यक्ष/महामंत्री मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन लो0नि0वि0 गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— जनपद अध्यक्ष/महामंत्री मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन लो0नि0वि0 चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मोहन लाल नाथ)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
नि0ख0, लो0नि0वि0 पोखरी (चमोली)

सेवा में,

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन 'क' वर्ग,
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

द्वारा :– उचित माध्यम

विषयः–अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–546 / 34व्यक–स्थानान्तरण –सा0 / 2023 दिनांक–16.04.2024

महोदय,

निवेदन करना है कि, प्रार्थी वर्तमान में प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0, पौडी में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है अवगत कराना है कि वर्तमान में मेरी पत्नी प्रधानाध्यापिका के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय चुपल्या, उत्तरकाशी जनपद में कार्यरत है एवं उनका स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण उनकी देखभाल हेतु घर पर कोई व्यक्ति मौजूद नही है। (संलग्न– बोर्ड द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र) जबकि वर्तमान तैनाती स्थल पौड़ी से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 150 कि0मी0 है जिससे प्रार्थी को आने–जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय प्रार्थी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है तथा प्रार्थी का उपचार चल रहा है तथा साथ ही अवगत कराना है कि प्रार्थी माह 02 / 2025 में सेवानिवृत्त हो जायेगा।

अतः महोदय से सादर निवेदन है कि प्रार्थी की उपरोक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रपत्र ख में वर्णित खण्डो में से किसी एक खण्ड में करने की महति कृपा कीजिएगा। इस हेतु प्रार्थी आपका आभारी रहेगा।

प्रार्थी

(अम्बिका लाल आजाद)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
प्रा0ख0, लो0नि0वि0, पौड़ी

अग्रिम प्रतिलिपि– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, व्यवस्थापन 'क' वर्ग, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(अम्बिका लाल आजाद)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
प्रा0ख0, लो0नि0वि0, पौड़ी

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप – 2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है			टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7			8
1	अम्बिका लाल	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0 पौड़ी (गढ़वाल)	उत्तरकाशी तहसील डुण्डा	(1) निर्माण खण्ड बड़कोट (2) रा0मा0 खण्ड बड़कोट (3) निर्माण खण्ड पुरोला (4) निर्मा0 खण्ड चिन्यालीसौड़ (5) प्रांतीय खं0 उत्तरकाशी	धारा के आगे ✓ लगाये		प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	महोदय, प्रार्थी की सेवानिवृत्ति 28 फरवरी 2025, 10 माह बाद होनी है, प्रार्थी एवं पत्नी का स्वास्थ्य विकृत है, पौड़ी से घर की दूरी 150 कि0मी0 है, अतः अनुरोध है कि प्रार्थी का स्थानान्तरण उल्लिखित स्थानों में से किसी एक में करने की कृपा करें।
						✓	धारा 17(1) (ख) (एक)	पत्नी के गम्भीर रोग से पीड़ित - प्रमाणपत्र	
							धारा 17(1) (ख) (दो)		
						✓	धारा 17(1) (ख) (तीन)	पति पत्नी के राजकीय सेवक प्रमाण	
							धारा 17(1) (ख) (चार)		
							धारा 17(1) (ख) (पाँच)		
							धारा 17(1) (ख) (छः)		
							धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोट – कॉलम संख्या–7 में दर्शायें गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) [signature]
नाम – अम्बिका लाल
पदनाम – वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) [signature] 1/5/24
नाम – ई0 दिनेश कुमार
पदनाम – अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी गढ़वाल

Report of divisional Medical Board Garhwal Mandal Pauri Garhwal

Signature of the Candidate
Attested
Chairman 8/11/11
Division Medical Board
PAURI GARHWAL

Certified that Shri/Km Smt. Subodha. Azad. Son/Daughter w/o of Sri.... Ambika. Lal.......whose signature is attested above, appeared today before the Divisional Medical Board Garhwal Mandal Puri for His/Her Medical examination.

He /She has examined by the board and Diagnosis and opinion of the case is given below:-

This is certified that Subdha Azad was examined by orthopaedic surgeon, Distt. Hospital Pauri Garhwal. She is suffering from chronic pain in both knee joints. She was advised xray both knee AP & lateral view. Xray report - bony osteophytes in both knee joints.

She is a case of osteo arthritis both knee joints; she is adviced for regular check up by orthopaedic surgeon.

Member Division Medical Board PAURI GARHWAL	8/11/11 Secretary Dr. K. D Sharma Division Medical Board PAURI GARHWAL	8/11/11 Dr. J. P. Bhatt Chairman Division Medical Board PAURI GARHWAL

Dr. M. P. Singh
orthopaedic surgeon

Dated - 8-11-11.

E:\OM_Dari\OM_Data\Negi\Fitness Certificate.doc

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय–उप शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चिन्यालीसौड़,उत्तरकाशी ।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुबधा आजाद पत्नी श्री अम्बीका लाल आजाद रा0प्रा0वि0 घुपल्या विकास खण्ड चिन्यालीसौड़,उत्तरकाशी में वर्ष 2013 प्रधानाध्यापिका के पद पर अविरल रूप से कार्यरत है।

उप शिक्षा अधिकारी
उप शिक्षा अधिकारी (बेसिक)
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान (10 नं0) वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
	2	3	4	5	5	6	7	8
	श्री धूम सिंह दिलवाल	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	प्रा0ख0, अल्मोड़ा	टिहरी गढ़वाल / नरेन्द्रनगर	(1) राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, देहरादून।	धारा के नाम के आगे √ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	महोदय प्रार्थी की नियुक्ति दि0 19.10.1995 विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुई थी। जिसके उपरान्त प्रार्थी तब से अब तक समस्त सेवाकाल लगभग 28 वर्ष 6 माह की सेवा दुर्गम क्षेत्र में की गयी है। वर्तमान में प्रार्थी की तैनाती लगभग 500 कि0मी0 दुरस्थ खण्ड में की गयी है। प्रार्थी की उम्र लगभग 54 वर्ष 6 माह है। प्रार्थी अपने घर से अत्यधिक दूर होने के कारण प्रार्थी अपने परिवार की सुचारू रूप से देखरेख करने में असमर्थ है। जिससे प्राथी के परिवार को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए किसी भी ऐच्छिक स्थान के खण्ड में स्थानान्तरण करने की कृपा करेंगे।
					(2) राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोईवाला।	[✓] 17 धारा (1) (ख) (एक)		
					(3) निर्माण खण्ड, देहरादून।	[ ] धारा (1) (ख) (दो)		
					(4) प्रान्तीय खण्ड, देहरादून।	[✓] धारा (1) (ख) (तीन)		
					(5) विद्युत / यांत्रिक खण्ड, देहरादून।	[ ] धारा (1) (ख) (चार)		
					(6) प्रान्तीय खण्ड, हरिद्वार।	[ ] धारा (1) (ख) (पाँच)		
					(7) अस्थाई खण्ड, ऋषिकेश।	[✓] धारा (1) (ख) (छः)		
					(8) विद्युत / यांत्रिक खण्ड, ऋषिकेश।	[ ] धारा (1) (ख) (सात) (एक) (तीन)		
					(9) निर्माण खण्ड, रुड़की।			
					(10) निर्माण खण्ड, नरेन्द्रनगर।			

(धूम सिंह दिलवाल)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

(ड0 सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून।

द्वारा:– **उचित माध्यम**

विषय:– **निजी हित में स्थानान्तरण चाहने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर लगभग तीन वर्ष से कार्यरत है। प्रार्थी घर का अकेला वारिस होने के कारण प्रार्थी अपने घरेलू कार्यों में अपना समय नहीं दे पाता है, साथ ही प्रार्थी की माता जी, जो लगभग 79–80 वर्ष की है, उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, जिन्हें पैरों से चला नहीं जाता है तथा चलने–फिरने में असमर्थ हैं, जिस कारण प्रार्थी को अपनी माता जी को हर माह उनके उपचार हेतु ऋषिकेष/देहरादून आदि स्थानों पर ले जाना पड़ता है। प्रार्थी द्वारा लगभग तीन–चार वर्षों से अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन करता जा रहा है, किन्तु प्रार्थी के प्रार्थना पत्रों पर कोई गौर नहीं किया जाता है। जबकि प्रार्थी वर्ष 1995 से दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत है, जिस प्रकार प्रार्थी की सेवा दुर्गम क्षेत्र में लगभग 29–30 वर्षों की हो चुकी है।

अतः महोदय से निवेदन है कि मेरी उपरोक्त परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का स्थानान्तरण निजी हित में विद्युत यांत्रिक खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, चम्बा, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, टिहरी, राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड श्रीनगर, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट में करने की कृपा करें, ताकि प्रार्थी इन सुगम स्थानों से अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनका उपचार कर सके।

प्रार्थी आपका आभारी रहेगा।

प्रार्थी
(हस्ताक्षर)
(हंसराम चमोली)
व0प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
उत्तरकाशी।

अग्रिम प्रतिलिपि:–

1– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– प्रान्तीय अध्यक्ष/महामंत्री/क्षेत्रीय अध्यक्ष/महामंत्री को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रार्थी की परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी के अनुरोध पत्र पर कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थी

(हंसराम चमोली)
व0प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
उत्तरकाशी।

पत्रांक 719/मूल दिनांक 01–5–24
मूल में प्रमुख अभियन्ता ... लो0नि0वि0, उत्तरकाशी को श्री चमोली के ... का आवेदन संस्तुति सहित अग्रसारित,
(हस्ताक्षर) 01/05/24

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप – 02

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थानों वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुसार अनुरोध किया गया हैं (साक्ष्यों सहित)		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री हंसराम चमोली	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	प्रा0ख0, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी	टिहरी गढ़वाल, तहसील–जाखनीधार	01. वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून 02. प्रा0ख0,लो0नि0वि0, टिहरी 03. रा0रा0खण्ड लो0नि0वि0, श्रीनगर 04. रा0रा0प0खण्ड लो0नि0वि0, डोईवाला, 05. नि0ख0,लो0नि0वि0 चम्बा 06. अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0 थत्यूड़ 07. रा0मा0 ख0,लो0नि0वि0 देहरादून 08. नि0ख0,लो0नि0वि0 बड़कोट 09. विद्युत/यां0 खण्ड,लो0नि0वि0,ऋषिकेश 10. अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 सहिया	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये धारा 17 (1) (ख) (एक) ✓ धारा 17 (1) (ख) (दो) धारा 17 (1) (ख) (तीन) धारा 17 (1) (ख) (चार) धारा 17 (1) (ख) (पांच) ✓ धारा 17 (1) (ख) (छः) धारा 17 (1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण प्रार्थनापत्र	महोदय प्रार्थी वर्ष 1995 से दुर्गम क्षेत्र है। प्रार्थी घर का अकेला पुत्र है प्रार्थी की माता जी जो लगभग 80 वर्ष की है। उनका स्वास्थ्य खराब रहता है तथा वे अनेक बीमारियों से ग्रस्त है। उन्हे चलने–फिरने में भी दिक्कत होती है। प्रार्थी को उन्हे कई बार ऋषिकेश देहरादून तथा अन्य स्थानों पर चिकित्सा परामर्श हेतु ले जाना पड़ता है। जिससे प्रार्थी के राजकीय कार्यों पर भी प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहती है। प्रार्थी द्वारा अपनी 29 वर्षों की सेवा दुर्गम क्षेत्रों में की गयी है। अतः आपसे अनुरोध कि प्रार्थी को सुगम एवं दुर्गम क्षेत्र के किसी भी खण्ड में स्थानान्तरण करने की कृपा करें। जहां से कि प्रार्थी को माता जी की देखरेख की जा सके व उन्हे सुलभ चिकित्सा उपलब्ध करायी जा सकें।

हस्ताक्षर(कार्मिक) [signature] 01/05/2024
नाम –श्री हंसराम चमोली
पदनाम –वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी

[signature] 01/05/24
हस्ताक्षर(कार्यालयाध्यक्ष)
नाम – ई0 रजनीश कुमार
पदनाम – अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी
1/5/2024

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्रमांक	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	मूल जनपद / तहसील का नाम	कार्यालय [illegible] वरीयता क्रम में	धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है			टिप्पणी
1	2	3	4	5	5	6		7	8
1	श्रीमती रम्भु मेहता	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	प्रा०ख० अल्मोड़ा	रानीखेत, जिला अल्मोड़ा	(1) निर्माण खण्ड, हल्द्वानी।	धारा के नाम के आगे √ लगायें		प्रस्तुत साक्ष्य का विवरण	महोदय, प्रार्थी की नियुक्ति दि० 25[illegible] को विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर [illegible] नियुक्ति हुयी थी, तभी पूर्ण सेवा दुर्गम क्षेत्र के खण्डों में कार्य किया गया है, जिस हेतु [illegible] सुगम हेतु पात्र है।
					(2) राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, हल्द्वानी।	☑	17 धारा (1) (ख) (एक)	—	
					(3) पी०एम०जी०एस०वाई०हल्द्वानी।	☐	धारा (1) (ख) (दो)		
					(4) प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०नैनीताल।	☐	धारा (1) (ख) (तीन)		
					(5) निर्माण खण्ड, नैनीताल	☐	धारा (1) (ख) (चार)		
					(6) विद्युत यांत्रिक खण्ड भीमताल।	☐	धारा (1) (ख) (पाँच)		
					(7) निर्माण खण्ड भवाली।	☐	धारा (1) (ख) (छः)		
					(8) प्रान्तीय खण्ड रानीखेत।	☐	धारा (1) (ख) (सात) (एक) (तीन)		
					(9) राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड रानीखेत।	☑	13(1) (2)		
					(10) ए०डी०बी० नैनीताल।				

(श्रीमती रम्भु मेहता)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

(इ० [illegible] कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	मूल संवर्ग/ जनपद का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 इच्छित स्थान वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						धारा के नाम के आगे ✓ लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
01	चामू सिंह [illegible] भण्डारी	[illegible]	[illegible] डीडीहाट	[illegible] डीडीहाट	[illegible] डीडीहाट	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☑ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- चामू सिंह भण्डारी

पदनाम- [illegible] प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 डीडीहाट

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) 01/07/2024

अधिशासी अभियन्ता

नाम- प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0

पदनाम- डीडीहाट (पिथौरागढ़)